

# ARYAVART BANK

(A Joint undertaking of Govt. of India, U.P. Govt. & Bank of India)



भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं बैंक ऑफ इण्डिया का संयुक्त उपक्रम

# आर्यावर्त बैंक

(भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं बैंक ऑफ इण्डिया का संयुक्त उपक्रम)

Regional Office : LRP Road, Lakhimpur Kheri-262701  
Telephone : 8052302941,8052302943,8052302945

क्षेत्रीय कार्यालय : एल०आर०पी० रोड, लखीमपुर - खीरी-262701  
दूरभाष : 8052302941,8052302943,8052302945

क्षे.का.-लखीम/प्रशा एवं सेवा/AB-234/2021-22

दिनांक : 20.12.2021

महाप्रबंधक,  
प्रधान कार्यालय  
लखनऊ।

महोदय,

## शाखा लखीमपुर हेतु परिसर की आवश्यकता

प्रधान कार्यालय के दिनांक 16.12.2021 के पत्रांक HO/A&S/LKHM/039/PVS/909/2021-22 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शाखा-लखीमपुर, बस स्टेशन रोड जनपद-लखीमपुर खीरी को नए परिसर में स्थानांतरित करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त को वेबसाइट पर देने हेतु विज्ञापन/बिड की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। उपरोक्त परिसर से सम्बन्धित विज्ञापन दिनांक 23.12.2021 को स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं अमरउजाला में प्रकाशित कराया जायेगा।

कृपया संलग्नक विज्ञापन को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

संलग्नक - यथोपरि।

भारतीय  
कृते-आर्यावर्त बैंक

क्षेत्रीय प्रबंधक  
(आर्यावर्त बैंक लि. लखीमपुर खीरी)  
क्षेत्रीय प्रबंधक  
लखीमपुर - खीरी



## आर्यावर्त बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय : लखीमपुर  
परिसर हेतु आवश्यकता

o/c

बैंक को अपनी शाखा-लखीमपुर, बस स्टेशन रोड, जनपद- लखीमपुर, के लिए नये परिसर की आवश्यकता है। जिसका कारपेट एरिया 1250 से 1800 वर्गफिट तक हो। भूतल पर स्थित व मुख्य मार्ग पर स्थित परिसर को वरीयता दी जायेगी। इस उद्देश्य से टेक्निकल एवं फाइनेन्शियल बिड की दोहरी प्रणाली के अन्तर्गत प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र0सं0	कार्यालय/शाखा का नाम	कारपेट एरिया	पता	जनपद
01	शाखा- लखीमपुर	1250 से 1800 वर्गफिट	बस स्टेशन रोड लखीमपुर	लखीमपुर

इच्छुक व्यक्ति/संस्थायें (दलाल नहीं) टेक्निकल एवं फाइनेन्शियल बिड के प्रारूप नजदीकी शाखा अथवा आर्यावर्त बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, LRP रोड, जनपद लखीमपुर से प्राप्त किया जा सकता है। इस नोटिफिकेशन की तिथि से प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक तथा विलम्बतम् दिनांक 05.01.2022 तक प्राप्त कर सकते हैं अथवा हमारी बैंक की वेबसाइट [www.aryavartbank-rrb.com](http://www.aryavartbank-rrb.com) से डाउनलोड करके प्राप्त किया जा सकता है।

पूर्ण रूप से भरे गये प्रस्ताव जिनमें समस्त आवश्यक सूचनाएँ हो अलग-अलग सील्ड लिफाफों में (चपड़ा से सील्ड) जिन पर टेक्निकल बिड एवं फाइनेन्शियल बिड अंकित हो, लिफाफे के ऊपर प्रस्तावित शाखा का नाम एवं नीचे बायें कोने में अपना पूरा नाम पता एवं मोबाइल नम्बर लिखते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक, आर्यावर्त बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, LRP रोड, लखीमपुर को प्रेषित किये जायेंगे।

अलग-अलग सील्ड लिफाफों में (टेक्निकल बिड एवं फाइनेन्शियल बिड) पूर्ण प्रस्ताव को जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 10.01.2022 को सायं 05:00 बजे तक होगी। समस्त प्रस्ताव दिनांक 10.01.2022 तक इस उद्देश्य हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक, आर्यावर्त बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय LRP रोड, लखीमपुर भेजे जा सकेंगे।

प्रस्ताव की टेक्निकल बिड अगले कार्य दिवस पर अपराह्न 3.00 बजे क्षेत्रीय कार्यालय, LRP रोड, लखीमपुर में खोली जायेगी तथा फाइनेन्शियल बिड खोले जाने की सूचना चयनित टेक्निकल बिड प्रस्तावको को तदनुसार सूचित किया जायेगा।

बैंक को कोई पूर्व नोटिस दिये बिना अथवा कारण बताये बिना समस्त या किसी प्रस्ताव को निरस्त करने अथवा किसी भी स्तर पर कार्यवाही को स्थगित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक 21.12.2021

कृते-आर्यावर्त बैंक

क्षेत्रीय प्रबन्धक  
क्षेत्रीय कार्यालय लखीमपुर-खीरी रोड

# आर्यावत बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय : लखीमपुर

भवन को किराये पर देने के लिये टेक्निकल बिड का प्रारूप  
(लिफाफे पर टेक्निकल बिड लिखकर अलग सीलबन्द लिफाफे में भेजा जाय)

सेवा में

क्षेत्रीय प्रबन्धक  
क्षेत्रीय कार्यालय  
लखीमपुर

सन्दर्भ :दिनांक ..... के प्रसारित नोटिस के माध्यम से आपके  
शाखा ..... हेतु परिसर की आवश्यकता के विज्ञापन के सन्दर्भ में

महोदय,  
उपरोक्त विज्ञापन के सन्दर्भ में, मैं शाखा ..... नवीन परिसर हेतु अपना भवन  
किराये पर देने को इच्छुक हूँ। प्रस्तावित परिसर का विवरण निम्नवत् है-

1	भवन स्वामी का नाम / पिता का नाम	
2	संगठन (व्यक्तिगत/अविभाजित हिन्दू परिवार, साझेदारी फर्म, ट्रस्ट, सरकारी/स्थानीय निकाय आदि)	
3	यदि संयुक्त स्वामित्व है तो प्रत्येक स्वामी का अंश	
4	प्रस्तावित परिसर का पूरा पता (पिन कोड एवं पडोस की भूमि के विवरण सहित)	
5	प्रस्तावित परिसर की वर्गफुट में कारपेट एरिया (जैसा कि संलग्नक में परिभाषित है)	बेसमेंट भूतल प्रथम तल
7	परिसर की चौहद्दी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण	
8	आन्तरिक माप तथा कारपेट एरिया दर्शित साइट प्लान एवं ले आउट की प्रति	
9	निर्माण का प्रकार (भार वहन क्षमता/आर सी सी/स्टील फ्रेम संरचना)	
10	परिसर की ऊँचाई (फर्श से छत तक)	
11	जमीन से फर्श की ऊँचाई	
12	निर्माण की आयु	
13	उपलब्ध/ उपलब्ध कराई जाने वाली आधारभूत सुविधायें	

	विशेषतायें यदि कोई हों	
	क्या मरम्मत/सुधार आवश्यक है, यदि हों तो सम्भावित खर्च सहित विवरण दें	
16	पार्किंग हेतु उपलब्ध स्थान का विवरण	
17	उपलब्ध/ उपलब्ध कराई जाने वाली जल आपूर्ति व्यवस्था/सुविधायें	
18	उपलब्ध/उपलब्ध कराई जाने वाली सैनिटरी सुविधायें	
19	विद्युत कनेक्शन है/लिया जाना है/स्वीकृत भार /आवेदित भार/मीटर क्षमता/ कनेक्शन किसके नाम है	
20	क्या छत पर वी सेट आदि लगाने के लिये स्थान उपलब्ध है	
21	रखरखाव का दायित्व एवं इस पर खर्च	
22	टैक्स देयतायें प्राधिकारी का नाम, तिमाहीं टैक्स, निर्धारण प्रभावी तिथि, परिसर का निर्धारण अलग होता है या भवन के अन्य भागों के साथ	
23	परिसर का स्वामित्व प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज जैसे भूलेख/टैक्स की रसीद आदि संलग्न करें	
24	निर्माण संबंधी अन्य सूचनायें	
अ	क्या प्लान नगरपालिका से अनुमोदित है यदि हों तो क्या उसमें आवश्यक बदलाव सम्भव हैं	
ब	क्या निर्माण कार्य अनुमोदित प्लान के अनुसार है एवं निर्माण पूर्ण होने का प्रमाणपत्र ले लिया गया है। क्या वॉछित एन ओ सी नियत प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है	
स	क्या परिसर का व्यापारिक प्रयोग अनुमन्य है	
द	यदि परिसर निर्माणाधीन है अथवा निर्माण प्रस्तावित है तो परिसर बैंक को हस्तगत करने में लगने वाला सम्भावित समय	
य	प्रस्तावित परिसर क्षेत्र के स्वीकृत नक्शे का विवरण, प्रति संलग्न करें	
25	कोई अन्य सूचना जो ऊपर समाहित नहीं है	

- 1 मुझे जानकारी है कि किराये का निर्धारण, बैंक की आवश्यकता/मानकों के अनुसार भवन पूर्ण हो जाने पर, दोनों पक्षों की मौजूदगी में कारपेट एरिया की नाप के उपरान्त होगा।
- 2 कारपेट एरिया का ऑकलन बैंक द्वारा प्रदत्त अनुसूची में परिभाषित क्रम में किया जायेगा।
- 3 बैंक को परिसर का प्रयोग करने में मेरे द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जायेगी।
- 4 यह करार HRC Act, ULC Act, Accommodation Controller Act के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं करता।
- 5 बैंक को परिसर में अपनी आवश्यकतानुसार फर्नीचर/फिक्सचर लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 6 बैंक को व्यवसाय संचालन हेतु आवश्यक फर्नीचर/फिक्सचर लगाने के लिए मुझसे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
- 7 परिसर की छत, बैंक द्वारा वी सेट, सोलर पैनल, नेटवर्क सम्बन्धित टावर आदि लगाने के लिए बिना किसी अतिरिक्त किराया दिये प्रयोग की जा सकती है।
- 8 निम्नलिखित मूलभूत सुविधायें परिसर में उपलब्ध हैं/ उपलब्ध कराने के लिए सहमत हूँ, जैसा कि बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार बताया जायेगा;
  - स्ट्रॉंग रूम का निर्माण बैंक आर्किटेक्ट द्वारा प्रदत्त नक्शे के अनुरूप कराया जायेगा स्ट्रॉंग रूम की सुरक्षा हेतु मेरे द्वारा लोहे का मजबूत गेट (4X7 की साइज का) व चैनल गेट लगवाया जायेगा।
  - बैंक के आर्किटेक्ट के नक्शे के अनुसार एक स्टोर रूम, स्टाफ के लिए लंच रूम की व्यवस्था की जायेगी। लंच रूम में वाश बेसिन/सिंक लगाया जायेगा।
  - बैंक के आर्किटेक्ट के नक्शे के अनुसार पुरुष एवं महिला शौचालय की व्यवस्था अलग अलग की जायेगी।
  - मेरे द्वारा मुख्य द्वार एवं अन्य ऐसे प्रत्येक स्थान पर जहाँ से व्यक्ति बैंक में सीधे प्रवेश कर सकता है, शटर व चैनल दोनों लगाये जायेगे।
  - मेरे द्वारा परिसर के फर्श व पेटिंग का कार्य बैंक द्वारा दिये गये मानकों के अनुरूप कराया जायेगा।
  - परिसर की समस्त खिड़कियाँ ग्रिल व शीशे के पल्लों से युक्त होंगी।
  - बैंक की आवश्यकता के अनुसार पावर लोड उसके लिए आवश्यक वायरिंग, प्वाइण्ट्स, टेलीफोन व यू0पी0एस0 के प्वाइण्ट्स उपलब्ध कराये जायेगें।
  - परिसर में निर्बाध जल आपूर्ति बनाये रखने के लिए छत पर पानी की टंकी के साथ जल आपूर्ति हेतु मोटर की भी व्यवस्था की जायेगी।
  - बैंक का साइन बोर्ड लगाने के लिए परिसर के मुख्य द्वार पर उचित स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।
- 9 परिसर से सम्बन्धित मरम्मत कार्य (आवश्यकता पड़ने पर) एवं प्रत्येक 03 वर्ष पर दीवारों व दरवाजों की पेन्टिंग मेरे द्वारा अपने खर्च पर कराई जायेगी। यदि मेरे द्वारा इस करार के अनुसार मरम्मत एवं पेन्टिंग कार्य नहीं कराया जाता है तो बैंक मेरे खर्च पर उक्त समस्त कार्य कराने के लिए अधिकृत होगा और उक्त कार्य कराने पर आये समस्त खर्च मुझे दिये जाने वाले किराये से वसूल कर लिए जायेगे।
- 10 मैं उक्त परिसर के लिए बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत लीज डीड एक्सीक्यूट करने के लिए सहमत हूँ जिसमें अधिवक्ता फीस सहित स्टैम्प पर आने वाले खर्च को बैंक व मेरे द्वारा आधा आधा वहन किया जायेगा।

- 11 मैं घोषित करता हूँ कि प्रस्तावित परिसर का मैं अकेला एवं एकमात्र स्वामी हूँ जिसका मेरे पास वैध प्रमाण है। इस की पुष्टि मे मैं भूलेख, टैक्स की रसीद, नगर पालिका से स्वीकृत प्लान की प्रति संलग्न कर रहा हूँ।
- 12 परिसर खाली करने की दशा मे बैंक अपने द्वारा लगाये गये समस्त फर्नीचर/फिक्सचर, बिजली की वायरिंग, काउण्टर, सेफ, लाकर, कैबिनेट, स्ट्रॉग रूम का दरवाजा, ग्रिलगेट, वेन्टिलेटर, एक्जस्ट फैन (यदि बैंक द्वारा लगाये गया हो), वी केज एवं पार्टीशन आदि निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 13 यदि मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो उक्त परिसर का कब्जा बैंक को.....दिन के भीतर दे दूँगा।
- 14 पुनः मैं पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्ताव वापस नहीं लिया जायेगा। मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्तानुसार मेरे/हमारे द्वारा दी गई समस्त जानकारी/सूचनाएं मेरे/हमारे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही हैं। साइट प्लान, स्वीकृत प्लान, स्वामित्व को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की प्रतियाँ संलग्न है। मुझे जानकारी है कि बैंक मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और इसे बिना कोई कारण बताये अथवा बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर सकता है।

स्थान -

दिनांक -

भवन स्वामी का नाम -

पता -

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

मोबाइल/टेलीफोन नम्बर -

# आर्यावत बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय : लखीमपुर

भवन को किराये पर देने के लिये फाइनेन्शियल बिड का प्रारूप  
(लिफाफे पर फाइनेन्शियल बिड लिखकर अलग सीलबन्द लिफाफे में भेजा जाय)

सेवा में

क्षेत्रीय प्रबन्धक  
क्षेत्रीय कार्यालय  
लखीमपुर

सन्दर्भ :दिनोंक ..... के प्रसारित नोटिस के माध्यम से आपको  
शाखा ..... हेतु परिसर की आवश्यकता के विज्ञापन के सन्दर्भ में

महोदय,

उपरोक्त विज्ञापन के सन्दर्भ में, मैं शाखा ..... नवीन परिसर हेतु अपना भवन  
किराये पर देने को इच्छुक हूँ। प्रस्तावित परिसर का विवरण निम्नवत् है-

1	भवन स्वामी का नाम / पिता का नाम		
2	प्रस्तावित परिसर का पूरा पता		
3	कारपेट एरिया वर्गफुट में (अनुसूची में परिभाषित कारपेट एरिया के अनुसार)		बेसमेंट भूतल प्रथम तल
4	किराया दर	मसिक किराया प्रति वर्गफुट (अनुसूची में परिभाषित कारपेट एरिया के अनुसार)	बेसमेंट भूतल प्रथम तल
5	मसिक किराया	कारपेट एरिया x किराया प्रति वर्गफुट	रु0
6	अनुबन्ध अवधि	न्यूनतम (5+5+5) 15 वर्ष के लिये	
7	आवधिक बढ़ोत्तरी	प्रत्येक 5 वर्ष बाद	15 प्रतिशत
8	बैंक के निर्धारित प्रारूप पर लीज डीड पंजीकरण का खर्च		50 : 50 के अनुपात में
9	टैक्स देयतायें	अ-आवश्यक छूट के बाद निगम के तिमाही / अन्य	

	टैक्स	
	ब-वर्तमान निर्धारण की प्रभावी तिथि	
	स-अगला निर्धारण कब होना है	
	द-टैक्सों का भुगतान कौन करेगा बैंक के अनुसार समस्त वर्तमान एवं बढ़े हुए टैक्स, व्यापारिक सरचार्ज, आदि का भुगतान भवन स्वामी द्वारा किया जायेगा अतः ऐसे प्रस्ताव को वरीयता दी जायेगी	
10	कोई अन्य सूचना जो ऊपर समाहित नहीं है	

- मुझे जानकारी है कि उपरोक्त किराया में शामिल पार्किंग स्थान, परिसर की छत पर बैंक द्वारा वी सेट, सोलर पैनल, नेटवर्क सम्बन्धित टावर लगाने का स्थान एवं भवन स्वामी द्वारा दी जाने वाली आधारभूत सुविधाओं सहित है, जिसका अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा।
- मुझे जानकारी है कि उपरोक्त वर्णित समस्त बिन्दुओं को परिसर निर्णीत करते समय ध्यान में रखा जायेगा।
- मुझे जानकारी है कि बैंक मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और इसे बिना कोई कारण बताये अथवा बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर सकता है।

स्थान -

दिनांक -

भवन स्वामी का नाम -

पता -

मोबाइल/टेलीफोन नम्बर -

भवन स्वामी के हस्ताक्षर